उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग–1
संख्याः–756 / 14–1–2014–300(40) / 90
लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

श्री जे0 एस0 अस्थाना, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश एवं विभागाध्यक्ष, लखनऊ को आवासीय फ्लैट क्रय करने हेतु सामान्य भविष्य निधि खाता संख्याः– आई0एफ0एस0यू0–1052 में जमा धनराशि रू0 34,88,647.00 / –(रूपया चौतीस लाख अठ्ठासी हजार छह सौ सैतालीस मात्र) के सापेक्ष रू0 31,00,000 / –(रूपया इक्तीस लाख मात्र) अन्तिम निष्कासन के रूप में अखिल भारतीय सेवायें (जी0पी0एफ0) नियमावली–1955 के नियम 12(1)(बी) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

1. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
2. यदि स्वीकृत धनराशि वर्णित मद में व्यय होने से अवशेष रह जाये तो उक्त अवशेष धनराशि आहरणकर्ता तत्काल अपने जी0पी0एफ0 खाते में जमा कर देगा।

पवन कुमार
सचिव

संख्याः–756(1) / 14–1–2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार–।।, पुरनिया चौराहा, केन्द्रीय भवन,अलीगंज, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन,लखनऊ।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को श्री जे0एस0 अस्थाना, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश एवं विभागाध्यक्ष, लखनऊ की जी0पी0 एफ0 पासबुक संख्याः– आई0 एफ0 एस0 यू0– 1052 मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
5. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
6. श्री जे0एस0 अस्थाना, प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0,लखनऊ।
7. वित्त व्यय नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
उप सचिव